



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या-162/21

दायर दिनांक:-09.12.2021



पीठासीन अधिकारी-श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

कमलेश बनाम लवली प्रमोटर्स

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 निर्णय

दिनांक 04.08.2022

उपस्थित अधिवक्ता- श्री रामदेव गुर्जर - प्रार्थीगण की ओर से

श्री सुण्डाराम जाट- अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 वास्ते प्रकरण को पुनः दर्ज करने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 212, रा0का0अधि0 के तहत वाद प्रस्तुत किया है। जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 22.02.2021 को खारिज कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.02.2021 को अप्रार्थी संख्या 16 द्वारा अवैधानिक रूप से शेष प्रतिवादीगण से मिलकर प्रार्थीगण के साथ झुठे/मिथ्या तथ्य प्रकट करके अर्थात् एस0सी-एस0टी0 मुकदमे/एफ0आई0आर0 234/2020 में राजीनामा कराने कि ऐवज में खाली स्टाम्प/पाईपेपर/शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी करवा कर दिनांक 22.2.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 पेश कर अप्रार्थी संख्या 16 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रत्याहरण करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जिसकी प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हुई। प्रार्थीगण तहसील कार्यालय में कभी भी उपस्थित नहीं हुये है। वादीगण के खाली स्टाम्प/पाईपेपर/शपथ-पत्र में बंटवारा बाबत दस्तावेज टाईप करवा कर अवैधानिक रूप से बंटवारा करवा लिया गया है। जिसकी माननीय अतिरिक्त जिला कलंक्टर महोदय, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी है जो विचाराधीन है। अन्त में प्रार्थीगण ने प्रार्थना की कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 22.02.2021 के आदेश को निरस्त करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल होने के उपस्थित नहीं, अतः उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से विस्तारपूर्वक जवाब मय प्रारम्भिक आपत्तियाँ पेश कर निवेदन किया कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को वादीगण/प्रार्थीगण ने दिनांक 22.02.2021 को आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद विद्धो कर खारिज करवाने बाबत प्रस्तुत किया था। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ समस्त वादीगण/प्रार्थीगण के अलग-अलग शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे। दिनांक 22.02.2021 की ऑर्डरशीट के अन्तर्गत वादीगण की पहचान वादी/प्रार्थी संख्या 9 विश्राम पुत्र स्व. श्री रामेश्वर एवं वकील वादी/प्रार्थी द्वारा की गयी थी। इसके पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुये वादीगण का वाद आगे नहीं चलाने तथा वाद विद्धो किये जाने की अनुमति देते हुये, वादीगण/प्रार्थीगण वाद खारिज कर दिया गया। इस प्रकार वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा विधिनुसार वाद विद्धो किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार वादीगण/प्रार्थीगण वाद विद्धो किये जाने की अनुमति देते हुये वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण/प्रार्थीगण को उक्त वाद पुनः दर्ज करवाये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वादीगण/प्रार्थीगण का वाद आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार विधिनुसार विद्धो किये जाने के पश्चात् आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त विद्धो किये गये वाद को पुनः दर्ज किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है।

वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.02.2021 को आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रत्येक वादीगण/प्रार्थीगण के अलग-अलग शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा विधिनुसार वादीगण/प्रार्थीगण वाद विद्धो किये जाने की अनुमति प्रदान की है। इस प्रकार वादीगण/प्रार्थीगण विधिनुसार विबन्ध के सिद्धान्त से (Estopped) है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के पैरा संख्या 3 में 'स्वयं वादीगण/प्रार्थीगण ने स्वयं- कि वादीगण के वाद वर्णित ग्राम सुरसुरा स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 1818 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा, प्रतिवादी संख्या 5 रामदयाल, प्रतिवादी संख्या 6 छोटी, प्रतिवादी संख्या 7 गिरधारी, रामेश्वर पुत्र मांगू व जीवन पुत्र बिरदा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2007 तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खोले गये नामान्तरकरण संख्या 1659 दिनांक 25.06.2007 को एवं ग्राम घसवा की ढाणी पटवार क्षेत्र मोरडी तहसील रूपनगढ़ के खसरा संख्या 75 मे से वादीगण के पूर्वज जीवन पुत्र बिरदा के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2007 तथा उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खोले गये नामान्तरकरण संख्या 85 दिनांक 25.06.2007 को सही होना स्वीकार करते हैं। इस प्रकार वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत समस्त तथ्यों को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुये स्वीकार किया गया है। इसी आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण/प्रार्थीगण को वाद विद्धो किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये वाद खारिज किया गया है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. में वादीगण/प्रार्थीगण ने स्वयं ने स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादीगण का वाद वर्णित कृषि भूमि पर कोई अधिकार नहीं होने से वादीगण वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, वादीगण का वाद विद्धो कर खारिज करवाना चाहते हैं। इस प्रकार वादीगण ने स्वयं ने स्वयं की इच्छा से वाद को विद्धो कर खारिज करवाने के कथन उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं इस आधार पर वादीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 22.02.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के साथ प्रत्येक वादीगण/प्रार्थीगण के अलग-अलग शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। जिन समस्त शपथ पत्रों के पैरा संख्या 1 में अंकित किया गया है कि प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण कथन पढ़, सुन, सही स्वीकार कर लिये हैं। इस प्रकार वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा स्वयं ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद विद्धो किया है। इन परिस्थितियों में वादीगण/प्रार्थीगण को वाद पुनः दर्ज करवाये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा स्वयं का वाद आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार विद्धो कर लिया गया है जिसके संबंध में वादीगण को पुनः आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को पुनः दर्ज करवाये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। विधिनुसार आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार वाद विद्धो किये जाने के पश्चात् अपील किये जाने के अलावा कोई विधिक उपचार मौजूद नहीं है। इसके बावजूद वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा विधि विरुद्ध रूप से पुनः माननीय न्यायालय के समक्ष वाद दर्ज किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। इस आधार पर भी वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं है। उक्त वाद विद्धो किये जाने के पश्चात् वादग्रस्त भूमि के संबंध में आपसी सहमति से बंटवारा किये जाने के बाद जो नामान्तरकरण खोले गये थे उनके वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विभिन्न अपीले न्यायालय श्रीमान् अपर जिला कलक्टर अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। जिसके अन्तर्गत वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा दिनांक 18.11.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 17 लगायत 23 के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है इस कारण इस प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 के विरुद्ध कोई अनुतोष शेष नहीं रहा है। इसके अलावा अपीलार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ विधि विरुद्ध रूप से एक सहमति पत्र/राजीनामा भी माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिसमें अंकित किया गया है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 के बीच आपस में राजीनामा हो गया है।



उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

इस आधार पर अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं। इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा स्वयं के उक्त प्रार्थना पत्र में विधि विरुद्ध रूप से यह भी अंकित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 की हद तक रथगन आदेश मुक्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है। उक्त वर्णित समस्त तथ्यों से यह पूर्णतया स्पष्ट प्रकट होता है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 आपस में मिले हुये हैं तथा उनके बीच दुर्रभिसंधि है। इसके अलावा यहां पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 आपस में मिलकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि को वास्तविक तथ्य छिपाकर तथा दादागिरी से हड़पना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय से उक्त वर्णित समस्त वास्तविक तथ्य छिपाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र/राजीनामा के अनुरार अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 के बीच विधि विरुद्ध रूप से यह राजीनामा किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड व नक्शों में तरमीम अनुसार अपील आराजी का विकास करेंगे अथवा भूमि रूपान्तरण करवाये या मौके पर किसी प्रकार का निर्माण, चार दीवारी अथवा उद्योग संचालित करे जिसमें प्रथम पक्षकार को किसी प्रकार का कोई उज्र ऐतराज नहीं रहेगा एवं मौके को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। प्रथम पक्षकारगण द्वितीय पक्षकारगण के पक्ष में तरमीम से आयी भूमि पर कोई अतिचार, अतिकमण नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 17 से 23 के बीच आपस में दुर्रभिसंधि है। न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा पारित आदेश न्यायोचित हैं। पक्षकारान द्वारा न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष आपसी सहमति के आधार पर भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र एवं बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ़ के समक्ष बंटवारा प्रस्ताव एवं 500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। जिस पर पक्षकारान के सहमति स्वरूप अंगूठा निशानी अंकित है एवं फोटोग्राफ भी चस्पा है। सहमति पत्र एवं नक्शा ट्रेस में वादीगण/प्रार्थीगण/अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स की हिस्सा भूमि को पृथक-पृथक रंगों से दर्शाया गया है। जिस पर गवाहान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। उक्त दस्तावेजों को तस्दीक तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा की गई है। इसी आधार पर न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा आदेश क्रमांक/बंटवारा/21 /69 दिनांक 06.05.2021 पारित किया जिसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता आदि नहीं की गयी है। उक्त बंटवारा अपीलांट द्वारा स्वयं की इच्छा से एवं स्वतन्त्र सहमति के आधार पर किया गया है। सहमति से किये गये बंटवारे के पश्चात् वादीगण/प्रार्थीगण को विधिनुसार यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। उक्त वर्णित समस्त आधारों पर वादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। विधि का यह सिद्धान्त है कि किसी भी वादग्रस्त भूमि के संबंध में यदि पक्षकारों की आपसी सहमति से बंटवारा हो जाता है तो उस बंटवारे के पश्चात् किसी भी पक्षकार को किसी भी न्यायालय में वाद को पुनः दर्ज करवाये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को वादीगण/प्रार्थीगण ने दिनांक 22.02.2021 को आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद विद्धो कर खारिज करवाने बाबत प्रस्तुत किया था। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ समस्त वादीगण/प्रार्थीगण के अलग-अलग शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये थे। दिनांक 22.02.2021 की ऑर्डरशीट के अन्तर्गत वादीगण की पहचान वादी/प्रार्थी संख्या 9 (विश्राम पुत्र स्व. श्री रामेश्वर) एवं वकील वादी/प्रार्थी द्वारा की गयी थी। इसके पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुये वादीगण का वाद आगे नहीं चलाने तथा वाद विद्धो किये जाने की अनुमति देते हुये, वादीगण/प्रार्थीगण वाद खारिज कर दिया गया। इस प्रकार वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा विधिनुसार वाद विद्धो किया गया है तथा माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार वादीगण/प्रार्थीगण का वाद विद्धो किये जाने की अनुमति देते हुये वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण/प्रार्थीगण को उक्त वाद पुनः दर्ज करवाये जाने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वादीगण/प्रार्थीगण का वाद आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार विधिनुसार विद्धो किये जाने के पश्चात् आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त विद्धो किये गये वाद को पुनः दर्ज किये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण/प्रार्थीगण का आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही विधिक प्रावधानों के विपरित होने से एवं प्रथम दृष्टया ही पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।



उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

वादीगण/प्रार्थीगण एवं समस्त पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति के आधार पर नियमानुसार भूमि विभाजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है। पक्षकारान द्वारा बंटवारा प्रस्ताव व सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। एवं हिस्सा भूमि को पृथक-पृथक रंगों से दर्शाया गया, जिस पर उनके एवं गवाहन के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी अंकित है। साथ ही नक्शा ट्रेस में भी हिस्सा भूमि पृथक-पृथक तहसीलदार रूपनगढ़ के न्यायालय द्वारा इसी आधार पर सहमति बंटवारा आदेश कमांक/बंटवारा/21/69 दिनांक 06.05.2021 पारित किया जिसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। तथा सहमति बंटवारा आदेश की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अन्त में अप्रार्थी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रार्थना कि प्रार्थीगण/वादीगण का आदेश 23 नियम 3 सी. पी.सी. का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के विरुद्ध खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के राजस्व अपील संख्या 49/21 उनवान अंजु वगैरह बनाम परमेश्वर, राजस्व अपील संख्या 50/21 उनवान प्रेम देवी वगैरह बनाम परमेश्वर, राजस्व अपील संख्या 51/21 गौरया वगैरह बनअप्रार्थी संख्या 1 से 4 की ओर से न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के राजस्व अपील संख्या 49/21 उनवान अंजु वगैरह बनाम परमेश्वर, राजस्व अपील संख्या 50/21 उनवान प्रेम देवी वगैरह बनाम परमेश्वर, राजस्व अपील संख्या 51/21 गौरया वगैरह बनाम परमेश्वर में पारित निर्णय दिनांक 08.04.2022 की छाया प्रतियां प्रस्तुत किये हैं जो पत्रावली में संलग्न है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष को सुनाया गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने मूल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि समस्त पक्षकारों की सहमति नहीं ली गयी और ना ही समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए। वकील प्रार्थीगण ने न्यायिक दृष्टांत 2018(2) Civil Lj 383 J Page no. 383 Supreme Court पेश किया, जिसका आदरपूर्वक अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब मय प्रारंभिक आपत्तियों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा मूल प्रकरण में समस्त पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत वकालतनामे पर समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है तथा बहस में यह भी कहा कि समस्त पक्षकारों के तस्दीकशुदा शपथ पत्र भी प्रस्तुत है और यह भी कहा कि समस्त पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी. वास्ते वाद विद्धो कर खारिज करवाने के प्रार्थना पत्र पर समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर एवं अंगुठा निशानी है तथा समस्त पक्षकारों के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत है। प्रार्थीगण की ओर से माननीय अपर जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व अपील संख्या 49/21 उनवान अंजु वगैरह बनाम परमेश्वर, राजस्व अपील संख्या 50/21 उनवान प्रेम देवी वगैरह बनाम परमेश्वर, राजस्व अपील संख्या 51/21 गौरया वगैरह बनाम परमेश्वर निर्णय दिनांक 08.04.2022 को अपीलांत की अपील सारहीन, भारहीन होने से खारिज की जा चुकी है जिसकी छायाप्रतियां पत्रावली पर प्रस्तुत है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी. का प्रथम दृष्टया ही विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से एवं पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। चूंकि समस्त प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सी0पी0सी0 वास्ते प्रार्थना पत्र विद्धो कर खारिज करवाने बाबत् पेश किया, साथ में प्रमाणित शपथ पत्र भी पेश किये। जिससे सिद्ध होता है कि प्रार्थीगण द्वारा विधिवत प्रार्थना पत्र विद्धो किया है। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2018(2) Civil Lj 383 J Page no. 383 Supreme Court प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर चस्पा नहीं होते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी0पी0सी0 सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।



उपखण्ड अजमेर अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)